



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना कोतवाली शहर

दिनांक 02.03.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 177/25 धारा 376/506 भादवि व धारा 67(ए) आईटी एक्ट से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 02.03.2025 को वादी ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्त अनुज पुत्र मूला सिंह निवासी ग्राम मुकीमपुर धारू उर्फ धारूवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री के साथ गलत कार्य किया गया व वीडियो बनाकर जान से मारने की धमकी दी गई तथा उक्त वीडियो को वायरल कर दिया जिससे वादी की पुत्री का रिश्ता टूट गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 177/25 धारा 376/506 भा0द0वि0 व धारा 67(ए) आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही:-

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अनुज पुत्र मूला सिंह निवासी ग्राम मुकीमपुर धारू उर्फ धारूवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अनुज पुत्र मूला सिंह निवासी ग्राम मुकीमपुर धारू उर्फ धारूवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. थाना प्रभारी उदयप्रताप थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
2. आरक्षी हरीशचन्दन कसाना थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
3. आरक्षी निखिल कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना रेहड़

दिनांक 02.03.2025

थाना रेहड़ पुलिस द्वारा मु0अ0स0 134/2024 धारा 109/3(5)/191(2)/191(3)/
115(2)/352/351(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त हॉकी तथा अवैध शस्त्र
सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 07.12.24 को वादी लखवेन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह थाना रेहड़ जनपद बिजनौर ने थाना रेहड़ पर तहरीर दी कि वादी व वादी के भाई के साथ खेत पर कार्य करते समय अभियुक्तगण 1. हरजेन्द्र 2. जनरैल सिंह पुत्रगण साधू सिंह 3. मनिन्द्र सिंह सिंह उर्फ गोलू 4. लखविन्द्र उर्फ लख्खा पुत्रगण जनरैल सिंह द्वारा गालीगलौच व वादी के भाई के ऊपर जानलेवा हमला किया व वादी के साथ लाठी डण्डों से मारपीट की। तहरीर के आधार पर थाना रेहड़ पर मु0अ0स0 134/2024 धारा 118(1)/115(2)/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 109/3(5)/191(2)/191(3) बीएनएस की वृद्धि की गई तथा धारा 118(1) बीएनएस0 का लोप किया गया।



कार्यवाही:-

थाना रेहड़ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मनिन्द्र सिंह उर्फ गोलू पुत्र जरनैल सिंह नि0 ग्राम व थाना रेहड़ जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त हॉकी तथा एक अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। अवैध शस्त्र बरामदी के आधार पर थाना रेहड़ पर मु0अ0सं0 19/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

नोट:-

थाना रेहड़ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त जरनैल सिंह पुत्र श्री साधु सिंह नि0 ग्राम व थाना रेहड़ जनपद बिजनौर को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मनिन्द्र सिंह उर्फ गोलू पुत्र जरनैल सिंह नि0 ग्राम व थाना रेहड़ जनपद बिजनौर

बरामदगी:-

घटना में प्रयुक्त हॉकी तथा एक अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 श्री फिरोज खान थाना रेहड़ जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 श्री राघवेन्द्र सिंह थाना रेहड़ जनपद बिजनौर
- 3.का0 19 केशव कुमार थाना रेहड़ जनपद बिजनौर
4. का0 2533 यतीश कुमार थाना रेहड़ जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना अफजलगढ

दिनांक 02.03.2025

थाना अफजलगढ पुलिस नें अभियुक्त को चोरी की बाइक सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही विवरण:-

थाना अफजलगढ पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्त नन्हे सिंह पुत्र रघुवीर सिंह निवासी ग्राम बैसली जमालपुर उर्फ गधापुर थाना काँठ जनपद मुरादाबाद को चोरी की एक मो०सा० स्पलेन्डर प्रो० न० UP21AZ-5349 चैंचिस नम्बर MBLHA10BMFB03069 व इन्जन नम्बर HA10ERFHB33580 सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना



अफजलगढ पर मु०अ०स० 65/25 धारा 35(2)/106 बी.एन.एस.एस. व 318(4)/317(5) बी.एन.एस पंजीकृत किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नन्हे सिंह पुत्र रघुवीर सिंह निवासी ग्राम बैसली जमालपुर उर्फ गधापुर थाना काँठ जनपद मुरादाबाद

बरामदगी विवरण-

चोरी की एक मोटरसाइकिल न० UP21AZ-5349

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु०अ०स० 508/18 धारा 420/413/414/411 भादवि व 41/102 सीआरपीसी थाना स्योहारा बिजनौर ।

2.मु०अ०स० 65/25 धारा 35(2)/106 बी.एन.एस.एस. व 318(4)/317(5) बी.एन.एस थाना अफजलगढ बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. थाना प्रभारी सुमित राठी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
2. उ०नि० हरवीर सिंह थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
3. मुख्य आरक्षी पीयूस खोखर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
4. आरक्षी देवकरण थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना अफजलगढ

दिनांक 02.03.2025

थाना अफजलगढ पुलिस ने मु0अ0सं0 61/2025 धारा 115(2)/333/64 बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट मे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 25.02.2025 को वादिनी ने थाना अफजलगढ पर तहरीर दी कि अभियुक्त ऐहतशाम पुत्र मौ0 अशरफ नि0 ग्राम मानियावाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ गलत कार्य किया गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 61/2025 धारा 115(2)/333/64 बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही:-

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त ऐहतशाम पुत्र मौ0 अशरफ उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

ऐहतशाम पुत्र मौ0 अशरफ नि0 ग्राम मानियावाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।

पुलिस टीम

- 1.थाना प्रभारी सुमित राठी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 यशपाल मलिक थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 3.मुख्य आरक्षी रवि मलिक थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 4.मुख्य आरक्षी प्रशान्त कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 5.आरक्षी अभिषेक ढाका थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना हीमपुर दीपा

दिनांक- 02.03.2025

थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 25/2025 धारा 296/74 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 01.03.2025 को वादी ने थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर पर तहरीर दी कि वादी की पुत्री के कॉलेज से घर आते समय गांव के ही शहबाज पुत्र नफीस अहमद निवासी ग्राम सिसौना थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर द्वारा हथ्शील हरकत की गयी, जिसको वादी द्वारा पकड लिया गया । तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 25/2025 धारा 296/74 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही:-

थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त शहबाज पुत्र नफीस अहमद निवासी ग्राम सिसौना थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शहबाज पुत्र नफीस अहमद निवासी ग्राम सिसौना थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नजीबाबाद

दिनांक 02.03.2025

थाना नजीबाबाद पुलिस ने मु0अ0सं0 62/25 धारा 87/64(1) बीएनएस व धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 27.02.2025 को वादिया ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अभियुक्त अब्दुल कादिर पुत्र अबरार अहमद निवासी गजरौला पाईमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा वादिया के साथ गलत कार्य किया गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 62/2025 धारा 87/64(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 3(2)v एससी/एसटी एक्ट की वृद्धि की गयी ।



कार्यवाही:-

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 62/25 धारा 87/64(1) बीएनएस व धारा 3(2)v एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त अब्दुल कादिर पुत्र अबरार अहमद को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अब्दुल कादिर पुत्र अबरार अहमद निवासी गजरौला पाईमार थाना नजीबाबाद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 अनीस अहमद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।
- 2.आरक्षी सुनील कसाना थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर .
- 3.आरक्षी सनुज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।